माननीय न्यायालय जी. एस. सिंघवी और एस. एस. सुधालकर, जे. जे .

S.I. सतबीर सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाता।

1995 की सी.डब्ल्यू.पी. नं. 11747।

2 मई, 1996।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद. 226-पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है)- 13.1,13.3,13.4,13.1 2,13.1 8 और 21.25- प्रत्यावर्तन-* सी. आई. डी *में प्रतिनियुक्ति-जबकि प्रतिनियुक्ति पर, याचिकाकर्ता को सहायक उप निरीक्षक के रूप में स्थानापन्न पदोन्नति दी गई -याचिकाकर्ता को मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायत पर हेड कांस्टेबल के मूल पद पर प्रत्यावर्तित तीसरी बटालियन हिसार हरियाणा पुलिस अकादमी वापस भेज दिया गया। प्रत्यावर्तन आदेश को चुनौती दी गई-नियम 21.25 के तहत प्रतिनियुक्ति मूल इकाई में आयोजित एक से अधिक पद पर रहने का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करती है-नियम 13.1 के तहत नियमित पदोन्नति का मामला नहीं-याचिकाकर्ता को मूल विभाग में वापस किया जा सकता है-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने की आवश्यकता नहीं है- याचिकाकर्ता के कनिष्ठ अधिकारियों की कार्यकारी अभिभावक पदोन्नति नहीं हुई हैं-प्रत्यावर्तन आदेश को बरकरार रखा गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता *की* उसकी मूल इकाई/जिले में वरिष्ठता को ना ध्यान में रखे हुए सी. आई. डी. में प्रतिनियुक्ति पर ले जाया गया था और उसे रिक्ति सी. आई. डी सीटें के विरुद्ध सहायक उप-निरीक्षक और उप-निरीक्षक के रूप में आकस्मिक पदोन्नति मिली। इसमें स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर विचार करना शामिल नहीं था जो मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ हैं। बल्कि वे व्यक्ति जो मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे, वे यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्हें सी. आई. डी के खिलाफ पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे सी. आई. डी के साथ प्रतिनियुक्ति पर नहीं थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम श्री बल्हारा के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने सी. आई. डी में उप निरीक्षक के पद पर रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

(पैरा 8)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 13.1,13.3,13.4,13.1 2,13.1 8 और 21.25 को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह पता चलता है कि जहां नियम 13 नियमित पदोन्नति से संबंधित है, वहीं नियम 21.25 विशेष रूप से आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति और कार्यवाहक पदोन्नति से संबंधित है, जबकि कोई व्यक्ति आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है। नियम 21.25 (2) में किसी प्रतिनियुक्तिक *की* मूल इकाई/जिले में प्रत्यावर्तन और प्रतिनियुक्तिक *की* अपनी मूल इकाई/जिले में उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण को स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है। मान लीजिए कि याचिकाकर्ता आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर था और उसे आपराधिक जांच विभाग में रिक्तियां के खिलाफ सहायक उप निरीक्षक और. उप निरीक्षक के रूप में कार्यवाहक पदोन्नति मिली थी । इस तरह की पदोन्नति को नियमों के नियम 13 के तहत किए गए प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, जिस बल पर श्री बल्हारा ने नियम 13.8 के संदर्भ में अपना विवाद खड़ा किया है, वह अनुपस्थित है। हमारी राय में, याचिकाकर्ता, जिसने नियम 21.25 (2) के तहत प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए कार्यवाहक और आकस्मिक पदोन्नति प्राप्त की है, यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परिवीक्षा पर रखा जाना चाहिए और परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के बाद स्वचालित रूप से पुष्टि के रूप में माना जाना चाहिए।

(पैरा 10)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमें सामान्य रूप से नियम 13 और विशेष रूप से नियम 13.8 में निहित उपबंधों के आधार पर मूल उपनिरीक्षक के रूप में माने जाने के याचिकाकर्ता के दावे को कायम रखने के लिए कोई औचित्य नहीं मिलता है।

(पैरा 11)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति के स्वतः अवशोषण की बात करता हो।-इसलिए, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बना रहा है, उसके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकता है और वह आपराधिक जांच विभाग में स्वतः प्रत्यर्पण या अवशोषण का दावा नहीं कर सकता है।

(पैरा 15)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए थी। इस पृष्ठभूमि में, यदि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायत पर उसकी संलिप्तता की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसकी मूल इकाई तीसरी बटालियन हिसार हरियाणा पुलिस अकादमी को वापस करने का फैसला किया, तो यह मानना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता को कलंकित किया गया है या उसे प्रतिवादियों द्वारा दंडित किया

गया है। याचिकाकर्ता की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट ने केवल याचिकाकर्ता को 'मूल इकाई' को वापस भेजने का आदेश पारित करने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। उस आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को मूल इकाई में उसके किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है और इसलिए, वह यह दलील नहीं दे सकता है कि प्रत्यर्थियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हेड कांस्टेबल के रूप में याचिकाकर्ता की पोस्टिंग उसकी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति का एक आवश्यक परिणाम है।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आई. एस. बल्हारा।

आर. एन. रैना, हरियाणा राज्य के लिए उप महाधिवक्ता।

निर्णय

एस. एस. सुधालकर, जे.

1. याचिकाकर्ता सतबीर सिंह द्वारा इस याचिका में पुलिस महानिरीक्षक, सी. आई. डी, हरियाणा और पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा क्रमशः पारित आदेश दिनांक 30 दिसंबर, 4,1994 और 19 अक्टूबर, 5 को चुनौती दी गई है, जिसका संक्षिप्त अनुरोध विवादित आदेशों को रद्द करना है

2. याचिकाकर्ता 12 अप्रैल, 1981 से हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा में शामिल हुआ। उन्होंने वर्ष 1986 में बी-1 परीक्षा में भाग लिया और लोअर स्कूल कोर्स पास करने के बाद, याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 1986 में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1 जुलाई, 1988 से, उन्हें आपराधिक जांच विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, (संक्षेप में 'सी. आई. डी')। सी. आई. डी में सेवा करते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी, हरियाणा द्वारा पारित 25 अगस्त, 1989 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था । उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल, पंचकूला में पोस्टल सेंसरशिप कोर्स भी पास किया। कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने उनकी सेवा की सराहना की थी। सी. आई. डी शाखा में अपनी पोस्टिंग के छह साल से अधिक के बाद, दिनांक 30 दिसंबर 1994 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को स्थानांतरित कर दिया गया था और उन्हें अपने मूल इकाई/जिले i.e तीसरी बीएन एचएपी, हिसार में तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया । पुलिस महानिरीक्षक सी. आई. डी ने 10 मार्च, 1995 को आदेश पारित किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सी. आई. डी में प्रतिनियुक्ति पर वापस ले जाया जाए। । हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने भी दिनांक 15 मार्च, 1995 को सर्विरम जारी किया और याचिकाकर्ता का सी. आई. डी, भिवानी से तीसरी बटालियन एचएपी, हिसार में स्थानांतरण रद्द कर दिया। । यह बात पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 5 जुलाई, 1995 को सर्विरम के

माध्यम से दोहराई थी। पुलिस उप महानिरीक्षक, एचएपी, मधुबन ने कमांडेंट, तीसरी बटालियन एचएपी, हिसार को भी निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता को सी. आई. डी में प्रतिनियुक्ति के लिए मुक्त किया जाए। इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया और इसलिए, याचिकाकर्ता ने 6 अगस्त, 1995 और 7 अगस्त, 1995 को फिर से प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 19 अक्टूबर, 1995 को सर्विरम जारी किया और 15 मार्च, 1995 के पहले सर्विरम को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के तीसरी बटालियन एचएपी, हिसार में स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने 30 दिसंबर, 1994 और 19 अक्टूबर, 1995 के आदेशों को पंजाब पुलिस नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी है। उनका तर्क है कि एक बार 30 दिसंबर, 1994 के आदेश को पुलिस महानिदेशक द्वारा रद्द कर दिया गया था, तो उन्हें सी. आई. डी. में माना जाएगा और इसलिए, सी. आई. डी में उप निरीक्षक के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं देने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई मनमाना और अवैध है।

3. प्रत्यर्थी सं। 1 से 5 ने उत्तर में कहा है कि इस रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देश के अनुपालन में, 1 अगस्त 1995 और 27 दिसंबर 1995 के बीच की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के सभी बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। प्रतिवादियों ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) के नियम 21.25 के तहत सी. आई. डी में प्रतिनियुक्ति पर ले जाया गया था और सी. आई. डी के साथ प्रतिनियुक्ति पर सेवा करते हुए, याचिकाकर्ता ने उच्च पद के लिए कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं किया, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया है कि मूल संवर्ग में पदोन्नति नियम 13.1 के प्रावधान के अनुसार की जाती है, जब पात्र अधिकारियों के नाम अलग-अलग सूचियों में लाए जाते हैं। यह कहा गया है कि सी. आई. डी एक अलग संवर्ग और सी. आई. डी के सभी अधिकारियों पुलिस विभाग के विभिन्न विंगों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है और उपयुक्त अधिकारी सी. आई. डी के साथ उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए एक रैंक से दूसरे रैंक में कार्यवाहक पदोन्नति विभिन्न रैंकों में दी जाती है। उत्तरदाताओं ने कहा है कि उप निरीक्षकों के 123 पदों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, केवल 113 पद पर हैं और उनमें से 85 को भी सी. आई. डी में कार्यवाहक पदोन्नति दी गई है, हालाँकि अपनी मूल इकाई/जिले में इन व्यक्तियों को उच्च पदों पर पदोन्नत होने का कोई अधिकार नहीं है। सहायक उप निरीक्षक के संवर्ग में 179 पदों की तुलना में केवल 170 व्यक्ति पद पर हैं और उनमें से 145 व्यक्तियों को कार्यवाहक पदोन्नति दी गई है। हेड कांस्टेबल के कैडर में 682 पदों के मुकाबले केवल 570 पद हैं और उनमें से 375 कार्यवाहक पदोन्नतियां दे रहे हैं। याचिकाकर्ता के बारे में, यह कहा गया है कि उसे तदर्थ आधार पर 23 अक्टूबर 1986 से और नियमित आधार पर 13 दिसंबर से पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस नियम के नियम 21.25 के संदर्भ में 24 जून, 1988 से सी. आई. डी में

प्रतिनियुक्ति पर ले जाया गया और सी. आई. डी के साथ प्रतिनियुक्ति पर सेवा करते हुए याचिकाकर्ता को 25 अगस्त, 1989 से सहायक उप निरीक्षक के रूप में तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। प्रत्यर्थियों ने आगे कहा है कि उसके मूल संवर्ग में, याचिकाकर्ता से वरिष्ठ कई व्यक्ति उपलब्ध हैं और उन्हें उच्च पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है और इसलिए, याचिकाकर्ता को मूल इकाई में उसके प्रत्यावर्तन पर भी पदोन्नत पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थियों ने दलील दी है कि दिनांक 15 मार्च, 1995 के सर्विरम के प्रकाशन के बाद, पत्र सं. 16027/ईडीएसबी-एल, दिनांक 21 जुलाई के माध्यम से सही स्थिति को पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया गया था और 15 मार्च, 1995 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था और पुलिस महानिदेशक ने महानिरीक्षक, सी. आई. डी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद उस आदेश को रद्द कर दिया। प्रतिवादियों के समक्ष यह भी दलील दी गई है कि दिनांक 30 दिसंबर, 1994 के आदेश के पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता को उसकी मूल इकाई में एक महत्वपूर्ण रैंक में वापस ले लिया गया था, लेकिन उसने 30 दिसंबर, 1994 के पहले के आदेश को रद्द करने के आदेशों में हेरफेर किया और जब पुलिस महानिदेशक के समक्ष सही तथ्य रखे गए, तो उसने अंततः याचिकाकर्ता को उसके मूल कैडर को वापस करने का आदेश दिया । प्रत्यर्थियों ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के कारण एक प्रतिकूल नोटिस दिया गया है और यह निर्णय लिया गया था कि संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले एक अधिकारी को सी. आई. डी. में नहीं रखा जायेगा और इसलिए, उसे मूल इकाई में वापस भेजने का निर्णय लिया गया था।

4. अपनी प्रतिलेखन में, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में किए गए एक प्रस्ताव को दोहराया है। उन्होंने यह भी दलील दी है कि पंजाब पुलिस नियमों में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के बाद, प्रतिवादी उन्हें निचले पद पर वापस नहीं कर सकते।

5. याचिकाकर्ता के लिए आई. एस. बल्हारा ने प्रथम तर्क यह दिया है कि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उप निरीक्षक के पद पर काम करने के बाद, याचिकाकर्ता ने स्थायी उप निरीक्षक के रूप में माने जाने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया है और उसे नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच के बाद के अलावा वापस नहीं किया जा सकता है। श्री बल्हारा ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थियों द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी और इसलिए, प्रत्यावर्तन के आदेश को नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए। श्री बल्हारा ने उच्चतम न्यायालय और इस कोर्ट के फैसलों पर *रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य* , *जगत सिंह बनाम हरियाणा राज्य* और *हरदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य* में भरोसा जताया। श्री बल्हारा द्वारा आग्रह किया गया दूसरा तर्क यह है कि छह साल से अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के बाद, याचिकाकर्ता को वापस नहीं किया जा सका। उन्होंने तर्क दिया कि नियम 21.25 के अनुसार भी प्रतिवादी याचिकाकर्ता को कुल पांच वर्ष की अवधि से अधिक प्रतिनियुक्ति पर जारी नहीं रख सकते थे और इसलिए, उन्हें स्थायी रूप से सी. आई. डी. में नियुक्त

किया गया माना जाना चाहिए। श्री बल्हारा का तीसरा तर्क यह है कि 19 अक्टूबर, 1995 का विवादित आदेश इस आधार पर रद्द किया जाए कि यह याचिकाकर्ता पर कलंक लगाता है क्योंकि यह महानिरीक्षक, सी. आई. डी. की एक रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है और महानिरीक्षक, सी. आई. डी. की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले, प्रतिवादी याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर देने के लिए कर्तव्यबद्ध था। विद्वान डिप्टी महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि सी. आई. डी. में याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर थी और उन्होंने मूल इकाई, i.e तीसरी बीएन एचएपी, हिसार में अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखना जारी रखा और यह पुलिस महानिदेशक की क्षमता के भीतर था कि उन्हें मूल इकाई में वापस कर दिया जाए। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह प्रत्यावर्तन का मामला नहीं है और इसलिए, यह आवश्यक नहीं था कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को उसकी मूल इकाई को वापस भेजने से पहले जांच की हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया हो। श्री रैना ने तर्क दिया कि सी. आई. डी. में प्रतिनियुक्ति नियम 21.25 द्वारा शासित होती है न कि नियम 13 द्वारा और इसलिए, याचिकाकर्ता यह तर्क देने का हकदार नहीं है कि उसने उस पद से अधिक पद धारण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया है। श्री रैना ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जब सी. आई. डी. के साथ प्रतिनियुक्ति पर था तब उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों पर विचार किए बिना कार्यवाहक पदोन्नति दी गई थी, इसलिए, उन्हें उच्च पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं मिला। श्री रैना ने आगे तर्क दिया कि जब याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा था, तो उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी संलिप्तता रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमे उसका ऐसी गतिविधियों में शामिल होना पाया गया जो सी. आई. डी. में उनके प्रतिधारण के लिए अनुकूल नहीं थीं इसलिए, सक्षम प्राधिकारी को उसे मूल इकाई में प्रत्यावर्तन के विवादित आदेश को पारित करने में पूरी तरह से उचित ठहराया गया था। श्री रैना ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब में जिस कारण का खुलासा किया गया है, उसे यह मानने का आधार नहीं बनाया जा सकता है कि क्षतिपूर्ति का निर्दोष आदेश दंडात्मक है।

6. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, हम यह निरीक्षण करना उचित समझते हैं कि न तो याचिकाकर्ता और न ही प्रत्यर्थियों ने न्यायालय के अभिलेख पर याचिकाकर्ता की सी. आई. डी. में प्रतिनियुक्ति के मूल आदेश को प्रस्तुत किया है। बेशक, याचिकाकर्ता ने 5 जुलाई, 1990 का आदेश दिया है, जिसके द्वारा उन्हें कार्यवाहक उप निरीक्षक के रूप में तदर्थ और आकस्मिक पदोन्नति दी गई थी, लेकिन उस आदेश में उन नियमों और शर्तों का कोई संकेत नहीं दिया गया है जिन पर याचिकाकर्ता को सी. आई. डी., हरियाणा में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। यह वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा है जिसकी संख्या वर्षों में बढ़ी है कि पक्षकारों द्वारा बुनियादी दस्तावेजों को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है और ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु के संदर्भ में कई तर्क दिए जाते हैं। इस मामले में भी, याचिकाकर्ता के प्रतिनियुक्ति पर बने रहने और उच्च पद का

आनंद लेने के अधिकार के बारे में तर्क दिए गए हैं और फिर भी याचिकाकर्ता ने प्रतिनियुक्ति के आदेश को रिकॉर्ड पर रखना भी उचित नहीं समझा है ताकि न्यायालय को सी. आई. डी. में प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के अपने अधिकार, यदि कोई हो, का निर्धारण करने में सक्षम बनाया जा सके।

7. उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी., हरियाणा द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यवाहक उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत करते हुए दिनांक जुलाई, 1990 को पारित आदेश इस प्रकार हैः-

"पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, सी. आई. डी. (एच) चंडीगढ़।

आदेश

पदोन्नतिः एएसआई सतबीर सिंह 3/88 को तत्काल प्रभाव से CID हरियाणा में मौजूदा रिक्ति के खिलाफ तदर्थ आधार पर कार्यवाहक उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उनकी पदोन्नति विशुद्ध रूप से अस्थायी और आकस्मिक है और उनके जिले/इकाई में उनकी वरिष्ठता के प्रति पूर्वाग्रह के साथ की गई है। उसे बिना किसी सूचना के वापस भेजा जा सकता है।

Sd/- विकास, IPS,

DIG/CID, हरियाणा, चंडीगढ़, 5-7-1990 ".

इसी प्रकार, 30 दिसम्बर, 1994 का आदेश (अनुलग्नक पी-6) संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः -

"पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, सी. आई. डी., हरियाणा।

आदेश

एएसआई सतबीर सिंह 3/88 को सी. आई. डी. रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर पर कार्यवाहक उप निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था उन्हें उनकी मूल इकाई तीसरी बीएन एचएपी, हिसार हेड कांस्टेबल के मूल पद पर वापस भेज दिया जाता है । कृपया इस कार्यालय को सूचित करते हुए उसे तुरंत मुक्त कर दें।

एसडी/- वी. एन. नेगी, आईपीएस,

पुलिस महानिरीक्षक, सी. आई. डी., हरियाणा, 30-12-1994 ".

8. इन दोनों आदेशों के एक संयुक्त पठन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को सी. आई. डी., हरियाणा में रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर कार्यवाहक उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया

गया था। उनकी पदोन्नति विशुद्ध रूप से अस्थायी और आकस्मिक थी और उनके जिले या इकाई में उनकी वरिष्ठता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना एक राइडर के साथ कि उन्हें बिना किसी सूचना के किसी भी समय वापस किया जा सकता है। दिनांक 30 दिसंबर, 1994 के आदेश द्वारा, उन्हें उनकी मूल इकाई तीसरी बीएन एचएपी, हिसार हेड कांस्टेबल के मूल पद पर वापस भेज दिया जाता है। यह आशंका है कि याचिकाकर्ता ने उप-निरीक्षक के पद पर बने रहने का कोई अधिकार हासिल नहीं किया था। यह तथ्य कि उनकी पदोन्नति को आकस्मिक के रूप में वर्णित किया गया था, उत्तरदाताओं द्वारा किए गए दावे का समर्थन करता है कि याचिकाकर्ता को सी. आई. डी के खिलाफ रिक्ति पदोन्नत किया गया था और जबकि मूल इकाई/जिले में उनके वरिष्ठों ने हेड कांस्टेबल का पद जारी रखा। रिट याचिका, जवाब और विभिन्न दस्तावेजों में किए गए कथनों से, यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को उसकी मूल इकाई/जिले में वरिष्ठता को ना ध्यान में रखे हुए सी. आई. डी. में प्रतिनियुक्ति पर ले जाया गया था और उसे रिक्ति सी. आई. डी सीटें के विरुद्ध सहायक उप-निरीक्षक और उप-निरीक्षक के रूप में आकस्मिक पदोन्नति मिली। इसमें स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर विचार करना शामिल नहीं था जो मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ हैं। बल्कि वे व्यक्ति जो मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे, वे यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्हें सी. आई. डी के खिलाफ पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वे सी. आई. डी के साथ प्रतिनियुक्ति पर नहीं थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम श्री बल्हारा के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ता ने सी. आई. डी में उप निरीक्षक के पद पर रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

9. अब हम याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क कि याचिकाकर्ता को सी. आई. डी में उप निरीक्षक के पद पर पुष्टि की गई मानी जानी चाहिए विचार करेंगें। पंजाब पुलिस नियम, 1934 (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है)- नियम 13.1,13.3,13.4,13.1 2,13.1 8 और 21.25 जिस पर पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने अपनी दलीलों के समर्थन में भरोसा जताया है, नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः -

"13.1.

(1) एक रैंक से दूसरे रैंक में और एक ही रैंक में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति, वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी। दक्षता और ईमानदारी, चयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक होंगे। प्रत्येक मामले में विशिष्ट योग्यताओं, चाहे वे उत्तीर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रकृति में हों या व्यावहारिक अनुभव, पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा। जब दो अधिकारियों की योग्यताएं समान हों, तो वरिष्ठ को पदोन्नत किया जाएगा। यह नियम समय-सीमा के भीतर वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है।

(2) पुलिस बल के वर्तमान संविधान के तहत किसी भी निचले अधीनस्थ को आमतौर पर स्वतंत्र रूप से जांच के संचालन या पुलिस स्टेशन या इसी तरह की इकाई का स्वतंत्र प्रभार नहीं सौंपा जाएगा। इसलिये यह आवश्यक है कि अच्छी तरह से शिक्षित सिपाही, विशेषताओं के साथ उच्च अधीनस्थ रैंक की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक, त्वरित पदोन्नति प्राप्त करना चाहिए ताकि जैसे ही वे निर्धारित पाठ्यक्रमों को पास कर लें, और कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों के रैंक के लिए उनका परीक्षण किया जाए और उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।

(3) नामांकित पुलिस अधिकारियों के बीच पदोन्नति को विनियमित करने के उद्देश्य से छह पदोन्नति सूचियों ए, बी, सी, डी, ई और एफ को बनाए रखा जाएगा।

प्रत्येक जिले में सूची ए, बी, सी और डी बनाए रखा जाएगा जैसा कि नियम 13.6,13.7,13.8 और 13.9 में निर्धारित किया गया है और बाद में कांस्टेबलों के चयन ग्रेड और हेड कांस्टेबल और सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होगी। सूची ई को उप-नियम 13.10 (1) में निर्धारित उप-महानिरीक्षक के कार्यालय में रखा जाएगा और उप-निरीक्षक के पद तक विनियमित किया जाएगा। सूची एफ को उप-नियम 13.15 (1) में यथा विहित महानिरीक्षक के कार्यालय में रखा जाएगा और वह निरीक्षक के पद के लिए कार्यवाही को विनियमित करेगी।

सूचियों ए, बी, सी, डी, या ई में प्रवेश करना या हटाना को आदेश पुस्तिका में और संबंधित पुलिस अधिकारी की चरित्र सूची में दर्ज किया जाएगा। ये सूचियाँ उन अधिकारियों की नाममात्र की सूची हैं जिनका प्रवेश अधिकृत रहा है। चरित्र सूची की सावधानीपूर्वक जांच के बिना कोई वास्तविक चयन नहीं किया जाएगा।

(4) 3 (1) राजपत्रित अधिकारियों के बीच और गैर-राजपत्रित से राजपत्रित रैंक में पदोन्नति करने की शक्ति महामहिम राज्यपाल की सहमति से स्थानीय सरकार में निहित है।

(2) उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल, जो सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट की पदोन्नति सूची "एफ" रखता है, पुलिस नियम 13.15 के अनुसार, उप-महानिरीक्षक या एक रेंज या सहायक महानिरीक्षक को सूचित करेगा। सरकारी रेलवे पुलिस में जब निरीक्षक के पद पर रिक्ति होती है तो महत्वपूर्ण रिक्ति को उसके नियंत्रण में एक अधिकारी द्वारा भरा जाना है।

उप-निरीक्षक और सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पर्याप्त पदोन्नति अधीक्षक जिला पुलिस द्वारा की जाएगी। इन दो रैंकों के लिए पदोन्नति सूची "डी" और "ई" बनाए रखने वाले पुलिस के सहायक अधीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस, रेंज के उप महानिरीक्षक, जब इनमे से किसी भी रैंक की रिक्ति को अपने जिले क अधिकारी द्वारा भरेंगें तो जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित करेंगे। हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति पुलिस अधीक्षकों और सहायक अधीक्षकों, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी।

(3) इंस्पेक्टर, सार्जेंट, सब-इंस्पेक्टर और सहायक सब-इंस्पेक्टर की वरिष्ठता इंस्पेक्टर-जनरल के आदेश के तहत सालाना मुद्रित सूची में दिखाई जाती है। जिलों में हेड कांस्टेबलों की वरिष्ठता फॉर्म 10.88 में दर्ज की जाएगी।

(2) 4. कार्यवाहक पदोन्नति करने की शक्ति। (1) निरीक्षक के पद पर आधिकारिक पदोन्नति रेंज के उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी। यदि पदोन्नति का प्रवाह श्रेणियों के बीच असमान रूप से वितरित किया जाता है, तो पुलिस महानिरीक्षक पदोन्नति सूची में उप-निरीक्षकों के 'एक रेंज से दूसरी रेंज में उपयुक्त ट्रांसफ़र बनाएगा।

(3) सब-इंस्पेक्टर, सहायक सब-इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पद पर आधिकारिक पदोन्नति पुलिस अधीक्षक और सहायक अधीक्षक, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जाएगी। यदि पदोन्नति का प्रवाह जिलों के बीच असमान रूप से वितरित किया जाता है, तो सहायक उप-महानिरीक्षक पदोन्नति सूची में उप-निरीक्षकों, हेड कांस्टेबलों 'एक जिले से दूसरे जिले में उपयुक्त ट्रांसफ़र बनाएगा।

(4) इस नियम के अधीन निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों और हेड-कांस्टेबलों से संबंधित सभी पदोन्नतियों को पुलिस राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और अधीक्षकों द्वारा अधिसूचनाएं उप-महानिरीक्षक के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिनके पास प्रत्येक मामले में कारण दर्ज करने पर ऐसे आदेशों को संशोधित करने की शक्ति होगी। यदि किसी अधीक्षक के पास अपने जिले में सी, डी और ई सूची में किसी भी पद पर अस्थायी नियुक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं , जिसे उसे बनाना आवश्यक है, वह दूसरे जिले के एक व्यक्ति के लिए उप-महानिरीक्षक को आवेदन करेगा।

13.8. सूची ग. हेड कॉन्सटेबल के रूप में पदोन्नति।-

(1) प्रत्येक जिले में फिल्लौर में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले और हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य माने जाने वाले सभी कांस्टेबलों के लिए एक सूची कार्ड इंडेक्स फॉर्म '[फॉर्म 13.8 (1)] में रखी जाएगी। सूची में भर्ती प्रत्येक कांस्टेबल के लिए एक कार्ड तैयार किया जाएगा और इसमें उपनियम 13.5 (2) के तहत उसकी अंकन और अधीक्षक द्वारा स्वयं या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जिनके तहत कांस्टेबल ने काम किया है कांस्टेबल की योग्यता और चरित्र के बारे नोट्स होंगे। सूची अधीक्षक द्वारा गोपनीय रूप से रखी जाएगी और पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण में इसकी जांच और अनुमोदन किया जाएगा।

13.9. हेड कांस्टेबल को पदोन्नति उप-नियम 13.1 (1) और (2) में वर्णित सिद्धांत के अनुसार की जाएगी .

सूची सी में प्रवेश की तिथि भौतिक नहीं होगी, लेकिन योग्यता को शामिल करते हुए योग्यता के उस क्रम को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें परीक्षाएं उत्तीर्ण की गई हैं। ऐसे मामलों में जहां अन्य योग्यताएं समान हैं, पुलिस बल में वरिष्ठता निर्णायक कारक होगी। चयन ग्रेड कांस्टेबल जिन्होंने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में लोअर स्कूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, लेकिन अन्यथा उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें उप महानिरीक्षक के अनुमोदन से अधिकतम दस प्रतिशत रिक्तियों तक हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।

13.12 बजे। सब-इंस्पेक्टर के पद में अस्थायी रिक्तियों को भरने की विधि।-

(1) उप-निरीक्षक के पद पर अस्थायी रिक्तियों को भरने का उद्देश्य सूची ई के सभी लोगों का यथासंभव स्वतंत्र प्रभार में परीक्षण करना होगा। सूची में नाम आने के क्रम को नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए, उच्च पद पर कार्य करने के अवसरों को यथासंभव समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। उप-निरीक्षक के रूप में कार्य करने वाले सहायक उप-निरीक्षक को आम तौर पर रिक्ति की अवधि तक कार्य करना जारी रखना चाहिए, और केवल इसलिए वापस नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि कोई अन्य सहायक उप-निरीक्षक जो उससे वरिष्ठ है स्थानापन्न नहीं है। हालाँकि, इस सिद्धांत को संशोधित किया जा सकता है यदि किसी भी स्थिति में इसके अनुपालन के परिणामस्वरूप पूरी तरह से सक्षम व्यक्ति को अपने से कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा 8 महीने से अधिक अवधि की स्थानापन्न नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा ।

(2) सूची डी और ई पर पुरुषों के आचरण और दक्षता को हमेशा विशेष सावधानी के साथ देखा जाएगा। कोई भी अधिकारी, चाहे वह अपने मूल पद पर हो या सहायक उप-निरीक्षक या उप-निरीक्षक के रूप में कार्य करते समय, अपने चरित्र या जिम्मेदारी के लिए उपयुक्तता को देखते हुए कार्यकाल के दौरान गंभीर कदाचार का दोषी हो, या जो या तो विशिष्ट कृत्यों द्वारा प्रदर्शित करता हो या उसके समग्र रिकॉर्ड के अनुसार, वह उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य है, सूची डी या सूची ई, जैसा भी मामला हो, से हटाने के लिए उप महानिरीक्षक को सूचित किया जाएगा।इस नियम की व्याख्या में उन दोषों के बीच भेदभाव दिखाया जाएगा जो अनुभव और आगे के प्रशिक्षण द्वारा उन्मूलन करने में सक्षम हैं,, और जो निश्चित अक्षमता और चरित्र के दोषों का संकेत देते हैं। जिन अधिकारियों के नाम सूची डी या सूची ई से हटा दिए गए हैं, उन्हें उप-महानिरीक्षक के आदेश से उप-कार्य या उत्कृष्ट योग्यता के आचरण की मान्यता में बहाल किया जा सकता है।

13-18. पदोन्नति की परिवीक्षा अवधि.-

रैंक में पदोन्नत सभी पुलिस अधिकारी दो साल के लिए परिवीक्षा पर होंगे, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में एक विशेष आदेश द्वारा, स्थानापन्न सेवा की अवधि को परिवीक्षा की अवधि में गिनने की अनुमति दे सकता है - परिवीक्षा अवधि के समापन पर ए रिपोर्ट पदोन्नति की

पुष्टि करने के लिए सशक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जो या तो अधिकारी की पुष्टि करेगा या उसे वापस कर देगा।किसी भी मामले में परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उस अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद एक उचित समय के भीतर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा कि क्या अधिकारी को पुष्टि की जानी चाहिए या वापस किया जाना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही के बिना वापस किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रत्यावर्तन को नियम 16.4 के प्रयोजन के लिए ह्रास नहीं माना जाएगा।

यह नियम उन कांस्टेबलों और उप-निरीक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया है, जिनका मामला नियम 13.5 और 13-14 द्वारा शासित है।

(1) 25. आपराधिक जांच विभाग में नियुक्ति -

(1) आपराधिक अन्वेषण विभाग में निरीक्षकों के अतिरिक्त उच्च और निम्न अधीनस्थ पदों को जिलों से उपयुक्त व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए भरा जाएगा, जो कि अपराध अन्वेषण विभाग के उप महानिरीक्षक के विवेकाधिकार पर एक बार में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) आपराधिक अन्वेषण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर एक पुलिस अधिकारी अपने जिले या रेंज के संवर्ग में अपना मूल पद बनाए रखेगा। जबकि आपराधिक जाँच विभाग में वह उस शाखा में कार्यवाहक पदोन्नति के लिए पात्र होगा; आपराधिक जाँच विभाग से वापस आने पर वह अपने मूल संवर्ग में अपना स्थान ग्रहण करेगा। आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्त अधिकारी के स्थान पर जिले या रेंज में स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है, ऐसा कार्यवाहक पद अधिकारी की वापसी पर, समाप्त हो जाता है। ।

(3) जब किसी जिले या रेंज के रोल पर अंकित कोई अधिकारी वरिष्ठता में किसी ऐसे स्थान पर पहुंचता है जो उसे पर्याप्त पदोन्नति के लिए विचार करने का हकदार बनाता है, यदि वह उस प्रतिष्ठान में सेवा कर रहा कर रहा होता जिससे वह स्थायी रूप से संबंधित है, तो उसे सूचित किया जाएगा और जिला पुलिस कार्य में लौटने का अवसर दिया जाएगा। आपराधिक अन्वेषण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर किसी भी अधिकारी को हेड कांस्टेबल या उच्चतर पद पर तब तक पर्याप्त रूप से पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि उप महानिरीक्षक, आपराधिक अन्वेषण विभाग और उप महानिरीक्षक दोनों इस बात पर सहमत न हों कि वह सभी निर्धारित मानकों द्वारा ऐसी पदोन्नति के लिए योग्य है।

(4) उप-महानिरीक्षक, आपराधिक अन्वेषण विभाग, अपने अधीन सेवारत उप-निरीक्षकों की ओर से रेंज के उप-महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक को, क्रमशः, सूची एफ में प्रवेश के चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए सिफारिश कर सकता है। एक सब-इंस्पेक्टर जो चयन ग्रेड में ग्रेड पदोन्नति के

लिए आपराधिक जांच विभाग में सेवा करते हुए योग्य हो जाता है, ऐसी पदोन्नति प्राप्त करेगा, अगर रेंज के उप महानिरीक्षक और आपराधिक जांच विभाग सहमत हैं कि वह इसके लिए उपयुक्त है।

(5) आपराधिक अन्वेषण विभाग में सेवारत उच्च अधीनस्थों पर वार्षिक रिपोर्ट अपराध अन्वेषण विभाग के उप-महानिरीक्षक द्वारा अभिलेख और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित रेंज के उप-महानिरीक्षक को भेजा जाता है।

(6) बहुत ही असाधारण मामलों में और केवल राजनीतिक शाखा के लिए और व्यक्तिगत रूप से उप महानिरीक्षक की लिखित मंजूरी के साथ, आपराधिक जांच विभाग में कांस्टेबल के रूप में या उच्च रैंक में सीधा नामांकन किया जा सकता है। हालाँकि, जब संभव हो, विशेषज्ञों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी, ताकि उनकी उपयोगिता समाप्त होने पर उनकी सेवाओं का वितरण किया जा सके।

10. उपरोक्त नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह पता चलता है कि जहां नियम 13 नियमित पदोन्नति से संबंधित है, वहीं नियम 21.25 विशेष रूप से आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति और कार्यवाहक पदोन्नति से संबंधित है, जबकि कोई व्यक्ति आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है। नियम 21.25 (2) में किसी प्रतिनियुक्तिक *की* मूल इकाई/जिले में प्रत्यावर्तन और प्रतिनियुक्तिक *की* अपनी मूल इकाई/जिले में उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण को स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है। मान लीजिए कि याचिकाकर्ता आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर था और उसे आपराधिक जांच विभाग में रिक्तियां के खिलाफ सहायक उप निरीक्षक और. उप निरीक्षक के रूप में कार्यवाहक पदोन्नति मिली थी । इस तरह की पदोन्नति को नियमों के नियम 13 के तहत किए गए प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, जिस बल पर श्री बल्हारा ने नियम 13.8 के संदर्भ में अपना विवाद खड़ा किया है, वह अनुपस्थित है। हमारी राय में, याचिकाकर्ता, जिसने नियम 21.25 (2) के तहत प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए कार्यवाहक और आकस्मिक पदोन्नति प्राप्त की है, यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे परिवीक्षा पर रखा जाना चाहिए और परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के बाद स्वचालित रूप से पुष्टि के रूप में माना जाना चाहिए।

11. याचिकाकर्ता के सहायक उप-निरीक्षक या उप-निरीक्षक के पद पर रहने के अधिकार के संबंध में श्री बल्हारा के इस तर्क को स्वीकार न करने का एक और कारण है कि निर्विवाद रूप से, सहायक उप-निरीक्षक और उप-निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता से वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों पर तब विचार नहीं किया गया था जब याचिकाकर्ता को दिनांक 25 अगस्त, 1989 और 5 जुलाई, 1990 के आदेशों के अनुसार आकस्मिक पदोन्नति दी गई थी। यदि इन पदोन्नतियों को मूल इकाई/जिले में प्रस्ताव के रूप में माना जाना था, तो इसे संविधान में निहित

समानता खंड के स्पष्ट रूप से विपरीत माना जाएगा। यदि पदोन्नति मूल इकाई/जिले में की जानी थी, तो याचिकाकर्ता से वरिष्ठ व्यक्तियों पर विचार किया जाता और शायद याचिकाकर्ता को बिल्कुल भी पदोन्नत नहीं किया गया होता। उनके वरिष्ठ याचिकाकर्ता को दी गई कार्यवाहक और आकस्मिक पदोन्नति की शिकायत नहीं कर सके क्योंकि वह आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे। तथापि, यदि इन आकस्मिक पदोन्नतियों को उच्च पद धारण करने के लिए याचिकाकर्ता को अधिकार प्रदान करने के रूप में माना जाता है, तो निश्चित रूप से वरिष्ठ व्यक्तियों के अधिकार गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे और हमें सामान्य रूप से नियम 13 और विशेष रूप से नियम 13.8 में निहित उपबंधों के आधार पर मूल उपनिरीक्षक के रूप में माने जाने के याचिकाकर्ता के दावे को कायम रखने के लिए कोई औचित्य नहीं मिलता है।

12. रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त) में अपीलार्थी, जो एक खिलाड़ी था, को 10 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत नियम 13.8 (2) के अधीन पदोन्नत किया गया था। माननीय न्यायमूर्ति ने नोट किया कि जब अपीलार्थी को नियम 13.8 (2) में प्रगणित 10 प्रतिशत कोटा के भीतर पदोन्नत किया गया था तो ऐसी पदोन्नति को नियमित आधार पर माना जाना चाहिए न कि तदर्थ आधार पर और इसलिए अपीलार्थी को वापस नहीं किया जा सकता था।

(13) *जगत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त)* और ह*रदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त)* में भी याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उनकी पदोन्नति पंजाब पुलिस नियम,1934 के नियम 13.8 (2) के अधीन की गई थी। जगत सिंह के मामले में, प्रतिवादियों द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था, लेकिन संबंधित मामलों में, प्रतिवादियों ने दलील दी कि हालांकि याचिकाकर्ताओं को पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.8 (2) के तहत पदोन्नत किया गया था, लेकिन उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार पर थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने नियम 13.8 (2) के संदर्भ में *रिसाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (उपर्युक्त)* में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया और अभिनिर्धारित किया कि नियम 13.8 (2) के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को दो वर्ष की सेवा के पूरा होने के बाद पदोन्नत पदों पर पुष्टि की गई मानी जाएगी।

(14) इनमें से किसी भी निर्णय में, उच्चतम न्यायालय या इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता जैसे किसी व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं किया, जिसे आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और जिसे आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए कार्यवाहक और आकस्मिक पदोन्नति दी गई थी। श्री बल्हारा जिन तीनों निर्णयों पर भरोसा करते हैं, उनमें सक्षम प्राधिकारी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया आवेदक/याचिकाकर्ता को नियम 13.8 के तहत नियमित रूप से पदोन्नति दी गई है, जो सक्षम प्राधिकारी को उन व्यक्तियों को पदोन्नति देने का अधिकार देता है जिन्होंने आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इस प्रकार, इनमें से कोई भी निर्णय याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन नहीं कर सकता है।

(15) याचिकाकर्ता के लिए विद्वत वकील का तर्क कि पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बने रहने की अनुमति दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर बने रहने का अधिकार प्राप्त किया है, यह भी अस्वीकृति के योग्य है। नियम 21.25 प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की बात करता है जिसे उप महानिरीक्षक, आपराधिक अन्वेषण विभाग के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकता है। विस्तार की शक्ति के प्रयोग की एकमात्र सीमा यह है कि ऐसा विस्तार एक बार में 2 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा। इस प्रकार, नियम स्पष्ट रूप से एक से अधिक विस्तारों को दर्शाता है। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपराधिक जांच विभाग में प्रतिनियुक्ति के स्वतः अवशोषण की बात करता हो।-इसलिए, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बना रहा है, उसके लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकता है और वह आपराधिक जांच विभाग में स्वतः प्रत्यर्पण या अवशोषण का दावा नहीं कर सकता है।

(16) यह हमें विद्वान वकील के अंतिम तर्क पर लाता है कि विवादित आदेश कलंकित हैं और इसलिए, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जवाब के अनुसार, याचिकाकर्ता के प्रत्यावर्तन का आदेश दिया गया है क्योंकि रिपोर्ट में मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी संलिप्तता का आरोप है और चूंकि प्रतिवादी द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी, इसलिए विवादित कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए। आदेश (अनुलग्नक पी6) और दिनांक 19 अक्टूबर, 1995 के सर्विंग्राम के अवलोकन से पता चलता है कि वे शब्दों में याचिकाकर्ता पर आक्षेप या कलंक नहीं लगाते हैं। याचिकाकर्ता पुलिस विभाग की एक संवेदनशील शाखा में प्रतिनियुक्तिदाता के रूप में कार्यरत था। प्रतिनियुक्ति पर उनका बने रहना संतोषजनक कार्य और आचरण पर निर्भर करता था। जबकि प्रतिनियुक्ति पर याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और प्रतिवादी उसे किसी भी समय अपनी मूल इकाई/जिले में वापस भेज सकते थे।फिर भी, मूल इकाई/जिले में याचिकाकर्ता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए थी। इस पृष्ठभूमि में, यदि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायत पर उसकी संलिप्तता की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसकी मूल इकाई तीसरी बटालियन हिसार हरियाणा पुलिस अकादमी को वापस करने का फैसला किया, तो यह मानना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता को कलंकित किया गया है या उसे प्रतिवादियों द्वारा दंडित किया गया है। याचिकाकर्ता की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट ने केवल याचिकाकर्ता को 'मूल इकाई' को वापस भेजने का आदेश पारित करने का उद्देश्य प्रस्तुत किया। उस आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को मूल इकाई में उसके किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है और इसलिए, वह यह दलील नहीं दे सकता है कि प्रत्यर्थियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हेड कांस्टेबल के रूप में याचिकाकर्ता की पोस्टिंग उसकी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति का एक आवश्यक परिणाम है। इस प्रकार, हमें विवादित आदेशों में कोई अवैधता नहीं मिलती है।

(17) ऊपर उल्लिखित कारणों से, रिट याचिका खारिज की जाती है। पार्टी अपनी लागत स्वयं वाहन करेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा.